15

II/निग०/सतना/2018/0377

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, (म0प्र0)

1. हरि सिंह तनय श्री रघुनंदन सिंह उम्र 58 वर्ष

2. जय सिंह तनय श्री रघुनंदन सिंह उम्र 48 वर्ष

दोनों पेशा कृषि निवासी ग्राम खम्हरिया तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 .... **निगराकारगण**

अधि० श्री एम.के. अग्निहोत्री द्वारा पेश 11-01-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1. ललन सिंह आत्मज श्री सीता सिंह कुर्मवंशी

2. ज्ञानेन्द्र सिंह तनय श्री इन्द्रभान सिंह कुर्मवंशी

3. रामलाल सिंह पिता श्री सहदेव सिंह कुर्मवंशी (मृत) वारिसान

अ- भोला सिंह आत्मज स्व.श्री रामलाल सिंह

ब- सुब्रन सिंह आत्मज स्व.श्री रामलाल सिह

सभी निवासी ग्राम खम्हरिया तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 ....

.... **गैर निगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध आलोच्य आदेश दिनांक 19.12.2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील रामपुर बाघेलान के अपील प्रकरण क्र.361/अपील/2015-16 से परवेदित होकर

मान्यवर,

निगराकारगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

क्रमशः.....2

हरि सिंह जय सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/सतना/2018/0377

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम. के. अग्निहोत्री उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील रामपुर बाघेलान के अपील प्रकरण क्रमांक-361/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के यहां आवेदक द्वारा धारा 5 का आवेदन लगभग 5 वर्ष से अधिक विलंब से प्रस्तुत किया, जो उनके द्वारा क्षमा नहीं किया गया अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा विरोध करते हुए अपने तर्क में कहा है कि विलंब का कारण दिन-प्रतिदिन का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए आवेदक को धारा 5 म्याद अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं समझा इसलिए उनके द्वारा धारा 5 का लाभ नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19/12/17 उचित होने से स्थिर रखा जाना उचित है। 3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील रामपुर बाघेलान के अपील प्रकरण क्रमांक-361/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।	

पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य